न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–51/2016

CIS NO. TS-668/2018

राघव शरण मिश्र एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

नथु दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
10.08.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी नही है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.04.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 एवं 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आवेदन धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–02 गणेश मिश्रा की मृत्यु दिनांक 03.04.2022 को हो चुकी है। उनकी पत्नी की मृत्यु उनके जीवनकाल में ही हो चुकी है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में अपने दो पुत्र चन्द्रभूषण मिश्र एवं रविभूषण मिश्र एवं छः पुत्रियों कमलावती देवी, प्रभावती देवी, कृष्णावती देवी, परमीला देवी, मधु देवी एवं पूर्णिमा देवी को छोडकर मरे है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वादीगण को वाद में प्रतिस्थापन की कार्यवाही व समय सीमा की बाध्यता की जानकारी एवं कानूनी समझ नही थी। जिस कारण प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। विलंब होने के वजह से वादी सं0–02 के निस्वत स्वतः वाद वैद्यानिक उपसम्मित होना माना जायेगा। अतः वाद उपसम्मित को विखंडित कर आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 31.05.2023 में कहा गया है कि वादीगण द्वारा जानबुझकर आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है	

लगातार **10.08.2023**	चूँकि वादीगण के द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 06.04.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। दिनांक 15.09.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	